[27/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1765]

परिशिष्ट – अ

शिकायतों का विवरण					
ग्राम मनरेगा पंचायत का नाम	शिकायतो का विवरण	शिकायत किसे प्रस्तुत की गई कले. /मु.का.अ.जि.पं.	शिकायत की दिनांक	शिकायत पर की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
छैवलाई	गुड्डी बाई पत्नि कमरलाल हरिजन नि.ग्रा. छैबलाई के कपिलधारा योजना के तहत स्वीकृत कुआं की राशि दिलवाये जाने वावत्	प्रमुख सचिव/ कलेक्टर	27.02.17	माननीय श्री महेन्द्र सिह कालूखेडा विधायक मुंगावली के द्वारा प्रेषित पत्र के संबंध में मनरेगा परिषद भोपाल से पत्र क्र 2108 भोपाल दिनांक 16.03.17 प्राप्त हुआ था। मौके पर एसीओ जिला पंचायत व पी.ओ. मनरेगा द्वारा स्वयं जॉच की गई। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मु.कार्य.अ. जनपद पंचायत व सहायक यंत्री मनरेगा ने निरीक्षण के आधार पर पूर्व में ही कूप को असफल घोषित किया गया तथा हितग्रही की सहमति के आधार पर खेत तालाब स्वीकृत किया गया है।	मौके पर खेत तालाब पूर्णता की ओर है जिससे हितग्राही व उसके परिजन पूर्णतःसंतुष्ट है।
नावनी	श्रीराम सिंह यादव सचिव के विरूद्व कार्यवाही वावत्	ए.सी.एस. /कलेक्टर	02.02.17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं.चंदेरी को जॉच हेतु भेजा गया।	जॉच के दौरान शिकायत असत्य पाई गयी है।
मदउखेडी	पूर्व सरपंच के कार्यकाल में 5 वर्षो में कराए गए निर्माण कार्यो की जांच	कलेक्टर	28.07.16	जॉच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. मुंगावली को आवेदन भेजा गया है।	शिकायत कर्ता के समक्ष जॉच करने पर सभी कार्यो मौके पर पाये जाने से शिकायत असत्य पाई गयी है।

अरूण कुमार श्रीवास्तव
संचालक, (ज.शि.नि.प्र.)
म.प्र रा.ग्रा.रो गा.परिषद

झागर	ग्राम पंचायत झागर के सरपंच लाखन सिंह यादव के आवेदन पर श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा विधायक मुंगावली द्वारा कलेक्टर महोदय अशोकनगर को पत्र प्रस्तुत कर सचिव के चार्ज नही देने वावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था।	कलेक्टर	16.01.16	पंचायत सचिव द्वारा प्रभार नहीं सौंपे जाने संबंधी शिकायत की गयी। ग्राम पंचायत झागर के सरपंच लाखन सिह के आवेदन पर श्री महेन्द्र सिह कालूखेडा विधायक मुंगावली द्वारा कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.07.16 पर से ग्रा.पं. झागर के सचिव श्री रंजीत यादव को कार्यालयीन आदेश क्र.9634–35 दिनांक21.12. 2015 के द्वारा निलंबित किया गया था।	उक्त प्रकरण में निलंबित सचिव द्वारा मान.उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की गई मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.16 को आदेश पारित करने के पालन में एवं मु. का.अ. ज.पं. अशोकनगर द्वारा पत्र क्र.1372 दिनांक 09.06.17 के द्वारा श्री रंजीत सिह यादव निलंबित सचिव ग्राम पंचायत झागर के विरूद्व विभागीय जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से इस कार्यालय के आदेश क्र. 2693 दिनांक 12.06.17 के द्वारा श्री रंजीत सिह यादव निलंबित सचिव ग्राम पंचायत झागर के विरूद्व 02 वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर निलंबन से वहाल किया जाकर ग्राम पंचायत डगोराफूट पदस्थ किया गया है।
नगेश्री	श्री घनश्याम यादव निवासी ग्राम नगेश्री द्वारा सरपंच,सचिव, उपयंत्री की मिलीभगत से राशि हडपने वावत्	ए.सी.एस. /कलेक्टर	03.04.17	श्री घनश्याम यादव निवासी ग्राम नगेश्री की शिकायत की जॉच कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां. सेवा संभाग अशोकनगर से कराई गई। जॉच सत्य पाई जाने पर कलेक्टर महोदय द्वारा सरपंच के विरूद्व एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।	कलेक्टर महोदय द्वारा सरपंच के विरूद्व एफआईआर दर्ज होने संबंधी आदेश उक्त आदेश पर मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा स्थगन दिया गया है। प्रकरण मान. न्यायालय में प्रचलित है।

अरूण कुमार श्रीवास्तव
संचालक, (ज.शि.नि.प्र.)
म.प्र.रा.ग्रा.रो.गा.परिषद